

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

मुकदमा  
03/2019

किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक  
24.01.2019

निर्णय दिनांक  
10.04.2019

उनवान सरकार बनाम बलवान पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ठोटी तहसील बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का धुलवा ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ठोटी के गै0 मु0 जोहड़ ख0 न0 217 कुल रकबा 26.92 है0 मे से 0.05 है0 पर अतिक्रमी बलवान पुत्र महावीर जाति जाट निवासी ठोटी तहसील बुहाना जिला झुझुनुं (राज0) ने अवैध रूप से फसल रबी में गेहूँ (0.02 है0) व चना (0.03 है0) कास्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा एवं जवाब पस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी द्वारा गै0 मु0 जोहड़ में फसल गेहूँ व चना कास्त कर रखी थी जिस बाबत भू0 अ0 निरीक्षक व हल्का पटवारी को गेहूँ व चना फसल कुर्क करने के आदेश पारित किये गये जो बाद कुर्क कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात फसल को कब्जे राज लेकर निलाम करने के आदेश पारित किये गये बाद निलामी अन्तिम बोलीदाता जयचन्द पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ठोटी तहसील बुहाना जिला झुझुनुं के पक्ष में स्वीकृत की गई। बाद निलामी राशि जरीये चालान नं0 GRN 29365100 दिनांक 26.03.2019 को राजकोष में जमा करवाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा गेहूँ व चना फसल कास्त कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से फसल गेहूँ व चना फसल कास्त कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 217 लगान 0.25 की 50 गुणा जुर्माना राशि 13/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हों तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

44  
1/3  
कायम करे

तहसीलदार बुहाना  
जिला झुझुनुं (राज0)

Suman  
D. Suman